संख्या- 97 **/2026/I/** 1285611 **/2026/71-1001(099)/485/2021**

प्रेषक,

आनन्द कुमार त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक** 31 **मार्च, 2026**

विषय:-वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2025-26/704, दिनॉक 23.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एवं सम्बद्ध चिकित्सालय हेतु विभिन्न मानक मदों में कुल रू0 663.12 लाख पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अंतर्गत राजस्व पक्ष लेखाशीर्षक 2210-01-110-15-05-वक्ष चिकित्सालय, कानपुर के मानक मद- 10-जलकर/जल प्रभार में रू0 50.00 लाख तथा लेखाशीर्षक 2210-05-105-03-39-राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर के विभिन्न मानक मदों में रू0 320.00 लाख, इस प्रकार पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत धनराशि कुल **रू0 320.00 लाख (रू0 तीन करोड़ बीस लाख मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति (निम्नानुसार एवं संलग्न प्रपत्र बीएम-9 के अनुसार) निम्नलिखित शर्तो/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष प्रदान करते है:-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध-

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
2. बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व महानिदेशक, चि0शि0 का होगा। स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गयी है।
3. जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में नहीं की जाएगी।
4. पुनर्विनियोग के माध्यम से की गयी अतिरिक्त मांग की धनराशि के आंकलन/शुद्धता/सत्यता के सम्बन्ध में महानिदेशक/प्रधानाचार्य स्वयं संतुष्ट हो लेंगे।
5. प्रश्नगत प्रकरण में अगर कोई वित्तीय अनियमितता होती है, तो उसके लिए प्रधानाचार्य स्वयं उत्तरदायी होंगे।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

6. स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में दिनांक 31 मार्च, 2026 तक कर लिया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

2- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष: 2210011101505 (वक्ष चिकित्सालय कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210011101505 वक्ष चिकित्सालय कानपुर	10 जलकर / जल प्रभार	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
	कुल			**50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)**

लेखाशीर्ष: 2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्षक	मानक मद	प्रस्तावित धनराशि
1	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	17 किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
2	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	21 छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन	1,50,00,000 (रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र)
3	031	2210051050339 गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर	49 चिकित्सा व्यय	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
	कुल			**2,70,00,000 (रुपये दो करोड़ सत्तर लाख मात्र)**

महायोग	3,20,00,000 (रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र)

के नामे डाला जायेगा।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्त प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

Digitally signed by ANAND KUMAR TRIPATHI
Date: 31-03-2026 17:58:48

भवदीय,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
2. महालेखाकार, (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वित्त नियंत्रक, निदेशालय,चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, कानपुर।
7. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेण्ट सिस्टम, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
8. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

बी एम-9 (भाग - 1)

पुनर्विनियोग के लिए आवेदन / स्वीकृति

(संदर्भ : बजट मैनुअल का प्रस्तर- 158)

A071-20252026-71-1001-099-485-2021

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर एंव सम्बद्ध चिकित्सोलय हेतु विभिन्न मानक मदों में पुनर्विनियोग के माध्य म से धनराशि स्वीमकृत किये जाने के सम्ब्न्धह में।

निम्नलिखित निधियो से प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान / विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पशचात् शेष अनुदान / विनियोग
031	2210051050343 (मेडिकल कालेज गोरखपुर)	01 (वेतन)	69,04,95,000 रुपये उनहत्तर करोड़ चार लाख पंचानबे हजार मात्र	2,19,00,000 रुपये दो करोड़ उन्नीस लाख मात्र	69,00,000 रुपये उनहत्तर लाख मात्र	0 शून्य	69,04,95,000 रुपये उनहत्तर करोड़ चार लाख पंचानबे हजार मात्र
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	06 (अन्य भत्ते)	88,00,000 रुपये अट्ठासी लाख मात्र	15,32,000 रुपये पन्द्रह लाख बत्तीस हजार मात्र	15,32,000 रुपये पन्द्रह लाख बत्तीस हजार मात्र	0 शून्य	88,00,000 रुपये अट्ठासी लाख मात्र
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	03 (मंहगाई भत्ता)	42,00,00,000 रुपये बयालीस करोड़ मात्र	5,90,24,000 रुपये पाँच करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार मात्र	4,90,24,000 रुपये चार करोड़ नब्बे लाख चौबीस हजार मात्र	3,20,00,000 रुपये तीन करोड़ बीस लाख मात्र	38,80,00,000 रुपये अड़तीस करोड़ अस्सी लाख मात्र
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	01 (वेतन)	75,00,00,000 रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र	88,56,000 रुपये अट्ठासी लाख छप्पन हजार मात्र	88,56,000 रुपये अट्ठासी लाख छप्पन हजार मात्र	0 शून्य	75,00,00,000 रुपये पचहत्तर करोड़ मात्र
कुल					₹ 6,63,12,000	₹ 3,20,00,000	

निम्नलिखित निधियो मे प्रस्तावित संक्रमण

अनुदान संख्या	लेखाशीर्ष	मानक मद	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध / विनियोग	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की	संक्रमण के पशचात् उपलब्ध अनुदान /	वित्तीय वर्ष

					धनराशि	विनियोग	
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	49 (चिकित्सा व्यय)	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	40,00,000 रुपये चालीस लाख मात्र	20,00,000 रुपये बीस लाख मात्र	60,00,000 रुपये साठ लाख मात्र	2025-202
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	21 (छात्रवृत्तियां और छात्रवेतन)	74,00,00,000 रुपये चौहत्तर करोड़ मात्र	2,60,00,000 रुपये दो करोड़ साठ लाख मात्र	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	75,50,00,000 रुपये पचहत्तर करोड़ पचास लाख मात्र	2025-202
031	2210051050339 (गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज कानपुर)	17 (किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व)	1,50,00,000 रुपये एक करोड़ पचास लाख मात्र	2,01,21,000 रुपये दो करोड़ एक लाख इक्कीस हजार मात्र	1,00,00,000 रुपये एक करोड़ मात्र	2,50,00,000 रुपये दो करोड़ पचास लाख मात्र	2025-202
031	2210011101505 (वक्ष चिकित्सालय कानपुर)	10 (जलकर / जल प्रभार)	5,00,000 रुपये पाँच लाख मात्र	1,61,91,000 रुपये एक करोड़ इकसठ लाख इक्यानबे हजार मात्र	50,00,000 रुपये पचास लाख मात्र	55,00,000 रुपये पचपन लाख मात्र	2025-202
कुल				₹ 6,63,12,000	₹ 3,20,00,000		

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहे :-

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव पर निम्नलिखित शर्तो के अधीन प्रशासनिक विभाग को अनुमोदन देना चाहें:-

1- स्तम्भ-3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है:-

वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर में मानक मद-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 88.56 लाख, मानक मद-03-महँगाई भत्ता मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 490.24 लाख तथा मानक मद-06 अन्य भत्ते मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 15.32 लाख, इस प्रकार मेडिकल कालेज, कानपुर में रू0 594.12 लाख तथा मेडिकल कालेज, गोरखपुर में मानक मद-01-वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू० 69.00 लाख, इस प्रकार कुल धनराशि रू0 663.12 लाख की बचत सम्भावित है।

2- स्तम्भ-8 में उल्लिखित उपलब्ध अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ-9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है:-

प्रधानाचार्य, मे०का०, कानपुर ने अपने विभिन्न पत्रों द्वारा अवगत कराया है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत वक्ष चिकित्सालय, कानपुर हेतु मानक मद-10-जलकर/जल प्रभार में रू० 161.91 लाख तथा गणेश शंकर विद्यार्थी स्मारक मेडिकल कालेज, कानपुर हेतु मानक मद-17-किराया, उपशुल्क और कर स्वामित्व में रू0 201.21 लाख, मानक मद-21-छात्रवृत्तियाँ और छात्रवेतन में रू० 260.00 लाख तथा मानक मद-49-चिकित्सा व्यय में रू० 40.00 लाख, इस प्रकार वक्ष चिकित्सालय एवं मेडिकल कालेज हेतु कुल धनराशि रू0 663.12 लाख की अतिरिक्त धनराशि की पुनर्विनियोग के माध्यम से आवश्यकता है।

3- प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्ट

प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लघंन नहीं होता है।

संख्या:RE-budget-1-796-E-3-586-X-2025-26-दिनांक: 31-03-2026

सेवा में,

महालेखाकार,
(लेखा एंव हकदारी) प्रथम/द्वितीय,
उ0प्र0, प्रयागराज।

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।

(कपिल देव भारती)
उप सचिव।

संख्या : / , दिनांक- मार्च, 2026

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महानिदेशक, चिकित्साव शिक्षा एंव प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0, लखनऊ।
3. प्रधानाचार्य, राजकीय मेडिकल कालेज, कानपुर।
4. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(आनन्द कुमार त्रिपाठी)
संयुक्त सचिव।